रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1997/भाद्र 14, 1919
No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1997/BHADRA 14, 1919

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 सितम्बर, 1997

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997

का.आ. 640(अ).—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 कहा जा सकेगा।

   (ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 29 में निम्नलिखित को उप-विनियम (1) के पश्चात् और उप-विनियम (2) के पूर्व परिवर्धित किया जाए :—

   परन्तु यह कि वहाँ कोई करार किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जहां निक्षेपागार स्वयं प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता है।

3. विनियम 58 में, उप-विनियम (1) से (12) निम्नलिखित नए उप-विनियम (1) से (11) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएं :—

   (1) यदि हिताधिकारी स्वामी उसके द्वारा स्वामित्वयुक्त प्रतिभूति पर गिरवी सृजित करने का इरादा रखता है तो वह निक्षेपागार को उस सहभागी के माध्यम से आवेदन करेगा जिसके पास ऐसी प्रतिभूतियों का बाबत उसका खाता है।

   (2) सहभागी यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि प्रतिभूतियां गिरवी रखने के लिए उपलब्ध हैं गिरवी की सूचना अपने अभिलेखों में नोट करेगा और आवेदन निक्षेपागार को भेजेगा।

   (3) निक्षेपागार गिरवीदार से इस पुष्टि के पश्चात् कि प्रतिभूतियां गिरवीकर्त्ता के पास गिरवी रखने के लिए उपलब्ध हैं आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर गिरवी सृजित और अभिलिखित करेगा और इसकी सूचना गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार के सहभागियों को भेजेगा।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार दोनों के सहभागी क्रमशः गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार को गिरवी के सृजन की प्रविष्टि की सूचना देंगे।

(5) यदि निक्षेपागार गिरवी सृजित नहीं करता है, तो यह गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार के सहभागियों को कारणों के साथ-साथ एक सूचना भेजेगा।

(6) उप-विनियम (3) के अधीन की गई गिरवी की प्रविष्टि निक्षेपागार द्वारा रद्द की जा सकेगी यदि गिरवीकर्त्ता या गिरवीदार अपने सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार को आवेदन करता है।

परन्तु यह कि गिरवी की कोई प्रविष्टि गिरवीदार की पूर्विक सहमति के बिना निक्षेपागार द्वारा रद्द नहीं की जाएगी।

(7) निक्षेपागार गिरवी की प्रविष्टि के रद्दकरण पर गिरवीकर्त्ता के सहभागी को इत्तिला देगा।

(8) गिरवी दस्तावेज के उपबंधों के अध्यधीन, गिरवीदार गिरवी का अवलंब ले सकेगा और ऐसे अवलंब पर, निक्षेपागार गिरवीदार को ऐसी प्रतिभूतियों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में रजिस्टर करेगा और तदनुसार अपने अभिलेखों को संशोधित करेगा।

(9) उप-विनियम (8) के अधीन अपने अभिलेखों को संशोधित करने के पश्चात् निक्षेपागार गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार के सहभागियों को परिवर्तन की सूचना तुरन्त रूप से देगा जो परिणामस्वरूप अपने अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और क्रमशः गिरवीकर्त्ता और गिरवीदार को इत्तिला देंगे।

(10) (क) यदि हिताधिकारी स्वामी उसके द्वारा स्वामित्वयुक्त प्रतिभूति पर आडमान सृजित करने का इरादा रखता है तो वह उप-विनियम (1) से (9) के उपबंधों के अनुसार ऐसा कर सकेगा।

(ख) उप-विनियम (1) से (9) के उपबंध आडमान के ऐसे मामलों में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परन्तु यह कि निक्षेपागार, आडमानदार को हिताधिकारी स्वामी के रूप में रजिस्टर करने के पूर्व आडमानकर्त्ता की पूर्विक सहमति अभिप्राप्त करेगा।

(11) प्रतिभूति का कोई अंतरण जिसकी बाबत गिरवी या आडमान की सूचना या प्रविष्टि प्रवृत्त है सहभागी द्वारा यथास्थिति गिरवीदार या आडमानदार की सहमति के बिना प्रभावित नहीं होगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि XVI/ii]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :— 1. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, का. आ. सं. 345 (अ) तारीख 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) संशोधन विनियम, 1997 द्वारा संशोधित हुआ था जो का. आ. सं. 91(अ) तारीख 7 फरवरी, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th September, 1997

Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997

S.O. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996.

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 29 the following be added after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2):—

Provided that no agreement shall be required to be entered into where the depository itself is an issuer of securities.

3. In regulation 58, sub-regulations (1) to (12) be substituted by the following new sub-regulations (1) to (11) :—

(1) If a beneficial owner intends to create a pledge on a security owned by him he shall make an application to the depository through the participant who has his account in respect of such securities.

(2) The participant after satisfaction that the securities are available for pledge shall make a note in its records of the notice of pledge and forward the application to the depository.

(3) The depository after confirmation from the pledgee that the securities are available for pledgor with the pledgor shall within fifteen days of the receipt of the application create and record the pledge and send an intimation of the same to the participants of the pledgor and the pledgees.

(4) On receipt of the intimation under sub-regulation (3) the participants of both the pledgor and the pledgee shall inform the pledgor and the pledgee respectively of the entry of creation of the pledge.

(5) If the depository does not create the pledge, it shall send along with the reasons an intimation to the participants of the pledgor and the pledgee.

(6) The entry of pledge made under sub-regulation (3) may be cancelled by the depository if pledgor or the pledgee makes an application to the depository through its participant.

Provided that no entry of pledge shall be cancelled by the depository without prior concurrence of the pledgee.

(7) The depository on the cancellation of the entry of pledge shall inform the participant of the pledgor.

(8) Subject to the provisions of the pledge document, the pledgee may invoke the pledge and on such invocation, the depository shall register the pledgee as beneficial owner of such securities and amend its records accordingly.

(9) After amending its records under sub-regulation (8) the depository shall immediately inform the participants of the pledgor and pledgee of the change who in turn shall make the necessary changes in their records and inform the pledgor and pledgee respectively.

(10) (a) If a beneficial owner intends to create a hypothecation on a security owned by him he may do so in accordance with the provisions of sub-regulations (1) to (9).

(b) The provisions of sub-regulations (1) to (9) shall mutadis mutandis apply in such cases of hypothecation.

Provided that the depository before registering the hypothecatee as a beneficial owner shall obtain the prior concurrence of the hypothecator.

(11) No transfer of security in respect of which a notice or entry of pledge or hypothecation is in force shall be effected by a participant without the concurrence of the pledgee or the hypothecatee as the case may be.

[F. No. SEBI/LE XVI/ii]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :—(1) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 16, 1996, vide S.O. No. 345(E).

(2) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was amended by SEBI (Depositories and Participants) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on February 7, 1997 vide S.O. No. 91(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997